E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2021; 3(1): 29-31
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 16-11-2020
Accepted: 18-12-2020

सरोज कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
सरोज कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

समकालीन भारत में वंशवाद का इतिहास : एक राजनीतिक विश्लेषण

सरोज कुमार

सारांश
भारतीय राजनीति से वंशवाद का अंत होता नहीं दिख रहा है। साल 1952 के बाद से लेकर वंशवाद जारी है और इसके अभी खत्म होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। ये देखने में आया है कि जिस परिवार से कोई एक बड़ा नेता हो गया है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसी में खींच लेता है जिसके कारण राजनीति को वंशवाद और परिवारवाद से निजात नहीं मिल पा रही है। हर राज्य में जिस परिवार का कोई बड़ा नेता है वहां उस परिवार के बाकी सदस्यों को विरासत में राजनीति मिल जाती है। सबसे अधिक समय तक विरासत की राजनीति गांधी और नेहरू परिवार की मानी जाती है। उसके बाद अन्य परिवार राजनीति में इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस आलेख में समकालीन भारत में वंशवाद के इतिहास का राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्दः भारतीय राजनीति, वंशवाद, वंशवाद की स्थिति, कारण; सुझाव

प्रस्तावना
लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप में एक सर्वोच्च व्यवस्था मानी जाती है। यह व्यवस्था राजतंत्र या तानाशाही से इस रूप में भिन्न होती है कि जहाँ राजतंत्र में एक ही परिवार/वंश के लोगों का राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वहीं लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार दो तरह की सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं। 'प्रदत्त परिस्थिति' में व्यक्ति को पद, प्राधिकार और प्रतिष्ठा, जन्म, वंश या जाति आदि के आधार पर प्राप्त होते हैं, न कि गुण–क्षमता और कार्य निष्पादन के आधार पर तो दूसरी ओर 'अर्जित परिस्थिति' में ये चीजें गुण–क्षमता व कार्य–निष्पादन के आधार पर ही हासिल होती हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रदत्त परिस्थिति बंद समाजों जैसे– कबीला, राजतंत्र और तानाशाही आदि की विशेषता होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति खुले समाजों अर्थात आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल होती है। दुर्भाग्यवश भारत अथवा तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतंत्र के बावजूद प्रदत्त परिस्थिति हावी है। राजनीति में कुछ परिवारों का एकाधिपत्य चलता है। इस परिवारवादी या वंशवादी राजनीति का अपना इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए भारत में नेहरू–गाँधी परिवार तथा कुछ अन्य देशों में जैसे नेपाल में कोइराला परिवार, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान परिवार एवं शेख जियाउर्रहमान परिवार, श्रीलंका में भंडारनायके परिवार एवं जयवर्द्धने परिवार और पाकिस्तान में भुट्टो परिवार एवं नवाज शरीफ परिवार के राजनीतिक दबदबे को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता हैं। इनके अलावा देखा जाए तो अमेरिका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि देशों में भी यही स्थिति है। उदाहरण के लिए सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में कैनेडी परिवार, बुश परिवार और क्लिंटन परिवार आदि को वंशवादी राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। [1]

भारतीय राजनीति में वंशवाद की स्थिति
भारतीय राजनीति में वंशवाद ने अपनी पैठ गहराई तक जमा रखी है। वर्तमान में भी भारतीय राजनीति से वंशवाद का अंत होता नहीं दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि साल 1952 के बाद से लेकर आज तक वंशवाद जारी है। प्रायः यह देखा गया है कि जिस परिवार से एक बड़ा नेता हो जाता है तो उस परिवार के बाकी सदस्यों को विरासत में राजनीति मिल जाती है।
गौरतलब है कि 1999 से 2014 तक कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए चुने गए वंशवादी सांसदों की संख्या 36 थी। जहाँ तक अन्य राजनीतिक पार्टियों का सवाल है तो वह भी पीछे नहीं रही थी। भाजपा 31 सांसदो के साथ कांग्रेस को बराबर का टक्कर दे रही थी। वंशवादी राजनेताओं का एक समान घनत्व 2009 में देखा गया था।

जब कांग्रेस और भाजपा से क्रमशः 11 फीसदी और 12 फीसदी सांसद वंशवाद से संबंधित थे।[2] ध्यान देने योग्य बात है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में 'वंशवाद' चरम स्थिति पर था, जिसमें राजनेताओं के परिवारों से कुल 53 सांसद शामिल हुए, जो निचले सदन का 9.5 फीसदी था। 2014 में यह अनुपात 8.6 प्रतिशत तक गिर गया, लेकिन ये आकड़ें संसदीय सीटों पर होने वाले वंशवाद के अनुपात में बढ़ोत्तरी का रुझान दिखाते हैं, जो 2014 से 15 साल पहले 1999 में पाए गए अनुपात से लगभग दोगुना रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 2189 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें से 389 प्रतिनिधि (18 प्रतिशत) वंशवादी राजनीति से संबद्ध थे। साथ ही इस बार 542 सांसदों में से 162 सांसद (30 प्रतिशत) को लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। ज्ञातव्य है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों, जैसे कॉंग्रेस से 31.19 प्रतिशत और भाजपा से 22.02 प्रतिशत सांसद वंशवादी राजनीतिक पृष्ठभूमि से चुनाव में जीत दर्ज कर आए हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहेम के शोधकर्ताओं द्वारा संकलित आंकड़ों (इंडिया स्पेंड) के मुताबिक सभी प्रमुख दलों में राजनीतिक राजवंश सामान्य बात है।[3]

वंशवाद/परिवारवाद शासन की वह पद्धति है, जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह से एक के बाद एक कई शासक बनते जाते हैं। वंशवाद, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों एवं प्रगतिशीलता के विरुद्ध है। छोटे और क्षेत्रीय दलों में भी प्रमुख परिवारों के हाथों में केन्द्रीकृत सत्ता रही है। वस्तुतः उनके पास हाल के दिनों में सत्ता में वंशवादों की सबसे अधिक संख्या देखी गई है। उदाहरण के लिए 2009 में चुने गए जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन सांसदों में से दो किसी राजनीतिक घराना से ही संबद्ध थे, जिसका मतलब है कि पार्टी में वंशवाद से जुड़े लोगों का अनुपात 67 प्रतिशत था जो किसी भी पार्टी का उच्चतम प्रतिशत कहा जा सकता है। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के 40 प्रतिशत सांसद वंशवाद के दायरे में थे, वहीं शिरोमणि अकाली दल के 25 फीसदी राजनेता अपने राजनीतिक वंश के सहारे ही राजनैतिक मैदान में खड़े थे।

भारत के राज्यों में वंशवाद

- जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश में 1952 से लोकसभा के लिए चुने गए 51 राजनेता वंशवादी थे। ये आँकड़े किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा थे। संख्या में मामले में यह स्थिति वर्तमान में भी लोकसभा चुनाव में देखी गई है जहाँ 80 सीटों में से 22 सांसद किसी न किसी राजनीतिक घराने से संबधित हैं।[4]
- पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों जगहों पर अपने संबंधित क्षेत्रीय दलों में राजनीतिक वंशों से सबसे अधिक प्रतिनिधि रहे हैं। जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में पंजाब से सर्वाधिक 62 प्रतिशत सांसद राजनीतिक घराने से संबंधित हैं।
- 1952 के बाद सबसे लंबे समय तक सांसद रहे सोमनाथ चटर्जी राजनीतिक घरानों से ही संबंधित थे, इन्होंने लोकसभा में कुल 10 कार्यकाल पूरे किए जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद के रूप में 9 तथा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 2004 में अपना आखिरी कार्यकाल पूरा किया।
- वहीं उनके पिता एनसी चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का तीन बार प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में सोमनाथ चटर्जी ने उनकी जगह ली थी।
- मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के अलावा इनके पुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं।
- इस प्रकार 1952 के बाद से, राजनीतिक वंशवाद राज्य–वार बढ़ा है लेकिन कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (संघ शासित क्षेत्रें) में इस दौरान कोई भी राजनीतिक वंश नहीं था। उदाहरण के लिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) और गोवा में।
- पूर्वोत्तर राज्यों में असम एकमात्र ऐसा राज्य था, जिसने राजनीतिक राजवंशों को अनुभव किया। यह राजनीतिक वंशों वाले राज्यों की रैंकिंग में आठवें स्थान पर आता है।

भारतीय राजनीति में वंशवाद के कारण

भारतीय राजनीति में वंशवाद के कारणों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है–

- भारत में राजनैतिक वंशवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यक्ति पूजा रहा है, जिसके तहत किसी व्यक्ति विशेष को महान मानकर उसकी पूजा की जाने लगती है। भारत के संदर्भ में नेहरू, इंदिरा आदि ऐसे ही महान शख्सियत रहे हैं।
- वंशवादी राजनीति का दूसरा कारण विद्यमान सामंती सामाजिक संरचना और यहाँ के लोगों की सामंती मानसिकता है। उल्लेखनीय है कि भारत में आज भी सामंती मूल्य व अंधविश्वास प्रचलित हैं जिसके चलते कोई भी राज्य 'वंश वृक्ष राजनीति' से अछूता नहीं है।
- राजनीतिक परिवारों द्वारा लोकतंत्र में राजवंशीय शासन को बनाए रखने का प्रयास करना भी एक कारण रहा है। इसके लिए वे अपने बेटे–बेटियों, पत्नी या अन्य रिश्तेदारों को अपनी पार्टी के शीर्ष स्थान पर रखते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भावी राजनेत्री के रूप में स्थापित करने का प्रयास, वर्तमान में सोनिया गाँधी के बाद राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, पंजाब में बादल परिवार, बिहार में लालू व रामविलास पासवान परिवार, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू परिवार, तमिलनाडु में करूणानिधि, तेलंगाना में चंद्रशेखर, जम्मू और कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार आदि।[5]
- 2018 के अध्ययन के अनुसार, मेडिकल और कानून जैसे अन्य कुलीन प्रोफेशन की तुलना में उस व्यक्ति के लिए राजनीति में प्रवेश की संभावना ज्यादा होती है जिसके पिता राजनेता होते हैं। इन परिवारों में वंशवाद पनपने का एक मुख्य वजह, अपने कार्यकाल में धन का लाभ उठाने की लालसा है।
- वंशवादी राजनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भारतीय राजनीतिक दलों की संरचना और इसके कार्य पद्धति एवं निर्णयन तक के स्तर में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना है।
- राजनीति में वंशवादिता चुनावी खर्च का भी परिणाम है। दरअसल भारत में गत वर्षों में चुनाव खर्च लगातार बढ़ा है जिसके चलते राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या अत्यंत गंभीर हुई है।
- राजनीतिक दलों की यह मानसिकता कि अपने दल के वरिष्ठ नेतओं को नाराज करना उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, राजनीतिक वंशवादिता को प्रगाढ़ बनाती है।
- जनता की यह मानसिकता कि कुलीन वर्ग के व्यक्ति मुक्तिदाता की भूमिका निभा सकते हैं और वे उन्हीं की छत्रछाया में सुरक्षित रह सकते हैं, वंशवादिता को बढ़ावा देती है।
- इस बात की पुष्टि फिलीपींस के मनीला स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी सेंटर के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से होती है, जिसके अनुसार एशिया के सामाजिक

सांस्कृतिक मूल्यों के कारण राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है।

- इस बात पर सीमित अध्ययन हुआ है कि कुछ राज्य दूसरों की तुलना में राजनीतिक वंशों से अधिक लोगों का चुनाव क्यों करते हैं। इसका एक अन्य वजह जातिगत राजनीति की संरचना है।
- राजनीति में वंशवाद के प्रोत्साहन का एक कारण राजनीति का व्यवसाय में तब्दील हो जाना है, दरअसल इस व्यवसाय में लाभ की तुलना में जोखिम की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार यह उन तमाम लाभकारी सुविधाओं के साथ पद एवं शक्ति उपलब्ध कराने में सक्षम है जिसकी व्यक्ति को लालसा होती है।

वंशवादी राजनीति के प्रभाव

वंशवादी राजनीति के प्रभावों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है–

- वंशवाद से प्रेरित राजनीतिक दलों के लिए देशहित की तुलना में परिवारहित अधिक महत्व रखता है। इस प्रकार इन दलों में जहाँ एक तरफ धन संपदा का संकेन्द्रण होता है वहीं दूसरी तरफ आम जनता की हालत बिगड़ने लगती है।
- इन दलों में जनता की आकांक्षाओं को समझने वाले जमीन से उठे सच्चे सक्षम जननायकों को पनपने ही नहीं दिया जाता है, दरअसल वंशवादी राजनीति अपने समक्ष किसी प्रकार की चुनौती नहीं चाहते हैं।
- परिवारवादी राजनीति एक ऐसी दरबारी संस्कृति को जन्म देती है जिसका मुख्य काम उस परिवार की सेवा और गुणगान करना होता है।
- यह राजनीति में योग्यता एवं प्रतिभा को हाशिये पर पहुँचा देती है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को महज इसलिए राजनीतिक नेतृत्व का अवसर प्राप्त होता है कि वह एक ऐसे विशिष्ट राजनीतिक परिवार से आता है, जिसका किसी क्षेत्र विशेष एवं दल विशेष की राजनीति में दबदबा होता है। इस प्रकार यह समान अवसर के सिद्धांत को नकारता है।
- हाल ही के ट्रेंड बताते हैं कि जिन राज्यों में राजनीति में सबसे ज्यादा वंशवाद है, वहां पर गरीबी भी अधिक है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में गरीबी काफी है, यहाँ पर राजनीतिक घरानों से जुड़े जन प्रतिनिधि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं।
- राजनीति में वंशवाद के बढ़ने से देश की सभी संस्थाएँ पंगु हो जाती हैं।
- उपर्युक्त खामियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वंशवाद स्वाभाविक रूप से खराब है लेकिन बावजूद इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इस व्यवस्था में भी कई बार अच्छे राजनेता प्राप्त होने की संभावना हेाती है। दरअसल राजपरिवार में भी ऐसे युवा होते हैं जो न सिर्फ योग्य होते हैं, बल्कि राजनीतिक बदलाव को लेकर एक नई दशा–दिशा देने के लिए तत्पर रहते हैं।

सुझाव

- भारतीय राजनीति में परिवारवाद एवं वंशवाद तब तक रहेगा जब तक कि इसका विरोध भीतर से न किया जाए। ऐसे में संबंधित दलों के नेता को पार्टी के भीतर लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए।
- भारतीय जनता को चाहिए कि वे सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जागरूक बनें जिससे कि वह राजनीतिक दलों के नीतियों को समझते हुए गलत नीतियों का विरोध करें।
- राजनीतिक दलों के नेता नैतिक रूप से परिवार के सदस्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर फैसला करें कि संबंधित सदस्य क्या राजनीति के योग्य है या नहीं। अगर योग्य है तो उसे प्रोत्साहित करें अन्यथा नहीं।
- राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि वंशवाद का लोकतंत्र में तब तक कोई स्थान नहीं हो सकता जब तक कि इसे चलाने वाली आम जनता की निगाहों में उस वंश की साख शंका से परे न हो।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परिवार की दूसरी पीढ़ी का राजनीति में आना गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व पर यह दावा उनके गुण–कौशल और कार्यनिष्पादन के आधार पर होना चाहिए न कि जन्मजात अधिकार के रूप में।आज 21वीं सदी में भारत आकांक्षाओं का देश है जो तकनीकी और ग्लोबल परिस्थितियों के ज्ञान से युक्त है, जिसके कारण यह प्रदत्त परिस्थिति अर्थात् जन्मवंश पर आधारित नेतृत्व को चुनौती देने में पूर्ण सक्षम है और दे भी रहा है। यह बदलते हुए भारत को प्रदर्शित करता है।

संदर्भ

1. शिरा, देज़ान; डेन्सशायर–एलिस, क्रिस भारत में व्यापार करना, हीडलबर्गः स्प्रिंगर 2012, 11
2. वालेस, पॉल भारत के 2014 के चुनावः मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा स्वीप, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2015, 81
3. फोली, माइकल राजनीतिक नेतृत्वः विषय–वस्तु, संदर्भ और आलोचना, ऑक्सफोर्डः ओकफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2013, 138
4. देसाई, ए.आर. भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन,, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे, 1986, 49
5. सिंह, रणधीर, 'आतंकवाद, राज्य आतंकवाद और डेमोक्रेटिक आईसी अधिकार', रणधीर सिंह में, मार्क्सवादी मोड में पांच व्याख्यान, अजंता, डी 4, 1993, 73